न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

रेवडमल / बाबूलाल नक्ल या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दावा 22/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण को खातेदार मालिक काश्तकार उद्घोषित किया जाकर वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज॰)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट,दौसा

पीठासीन अधिकारी	–	बृजेन्द्र मीना (आरएएस)
	–	उपखण्ड अधिकारी, लालसोट
मुकदमा नम्बर	–	228/2008
दर्ज दिनांक :–	–	19.11.2008

1. रेवडमल पुत्र नानगा (फौत)
   1/1 बाबूलाल
   1/2 हरकेश — पिसरान स्व0 रेवडमल
   1/3 रमेश
   1/4 कल्ली पत्नि रेवडमल

समस्त जाति माली निवासी थला की ढाणी कस्बा लालसोट तह0 लालसोट जिला–दौसा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम्

1. नाथूलाल पुत्र नारायण
2. कान्तीप्रसाद पुत्र नारायण(फौत)
   2/1 योगेश पुत्र कान्तीलाल
   2/2 गिर्राज उर्फ लालू पुत्र कान्तीलाल
   2/3 बृजेश पुत्र कान्तीलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा लालसोट जिला–दौसा राज0।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

2/4 जुगलकिशोर पुत्र कान्तीलाल
3. रामेश्वर पुत्र नारायण
4. उप पंजीयक महोदय तहसील लालसोट
5. राज0 सरकार जरिये--तहसीलदार लालसोट जिला–दौसा (राज0)

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–	श्री ओमप्रकाश सैनी	–	अधिवक्ता प्रार्थी
	प्रतिवादीगण	–	एक पक्षीय कार्यवाही

वाद पत्र उद्धघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 31.07.2023

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेवडमल पुत्र नानगा जाति माली निवासी थला की ढाणी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र बाबत उद्धघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय पेश किया कि आराजी कस्बा लालसोट थला की ढाणी तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 626 रकबा 6 बिस्वा वादग्रस्त भूमि है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी तथा वादी के पूर्वज लगभग 100 वर्षो से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा आराजी वादग्रस्त को वादी के कब्जे के आधार पर लगभग 35 वर्ष पूर्व वादी को जरिये रजिस्टर्ड इकरारनामा विक्रय कर कब्जा वादी को संभला दिया था तब से ही वादी आराजी वादग्रस्त पर निरन्तर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है। वादीगण ने उक्त आराजीयात् पर नगर पालिका लालसोट की सहमति से गृहकर टैक्स जमा करवाकर नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर विधुत तथा नल कनेक्शन भी ले रखा है। वादी उक्त आराजीयात् पर निवास करता है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

वादी के आगे अभिवचन है कि आराजी वादग्रस्त से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार वास्ता नहीं है। परन्तु अब वे वादी के कब्जे काश्त में दखल पैदा करने तथा आराजी वादग्रस्त के अवैध इन्द्राजात के आधार पर हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी 1 लगायत 3 के नाम है इस कारण वादी द्वारा प्रतिवादीगण से ईकरारनामें का पंजीयन कराने का कई बार निवेदन किया परन्तु वे वादी को झूठा आश्वासन देते रहे है। अब वादी को जानकारी हुई है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अपने नाम होने के कारण आराजी का हस्तान्तरण किसी दीगर व्यक्ति को करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

वाद हेतुक के संबंध में वादी का कहना है कि दिनांक 10.11.2008 को वादी आराजी वादग्रस्त पर काश्त कर रहा था कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आराजी वादग्रस्त पर किसी दीगर व्यक्ति को साथ लेकर आ गये तथा वादी से कहा कि आराजी वादग्रस्त की खातेदारी हमारे नाम से है इसलिए हम इस जमीन का विक्रय इन लोगो को करेगे इस पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि इस जमीन का बेचान तुम मुझे कर चुके हो तथा अब मेरे नाम इसका पंजीयत करवाओं तब प्रतिवादीगण ने ऐलानियॉ वादी से कहा कि हम तो इस जमीन का विक्रय किसी दूसरे व्यक्ति को करेगे तथा तुम्हे इस आराजी से बेदखल करेगे इसी विनाय धमकी से मुखास्मत होकर वादी को अपने हक हकूक की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है।

उक्त प्रकार से अभिवचन करते हुए वादी ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्ब 626 वाकै कस्बा लालसोट की उद्घघोषणा अपने नाम कराने की इस्तदुआ चाही है साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का भी निवेदन किया है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की आदेश 5 के प्रावधानानुसार साधारण तामीले जारी की गई किन्तु अदम तामिले यह पृष्टांकित करते हुए पेश की गई कि आसामी ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया लेकिन साक्षी के तौर पर कोई नहीं मिला जो अदम तामिल मानी गई तदुपरान्त प्रतिवादीगण की पुनः जरिये रजिस्टर्ड एडी तामिल करवाई गई। रजिस्टर्ड एडी लिफाफे यह अंकन करते हुए वापस लौटा दिये गये कि प्रतिवादीगण/नोटिस प्राप्तकर्ता यहॉ नहीं रहते है, जयपुर रहते है। सिविल प्रक्रिया संहित के आदेश 5 के प्रोविजन अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगयात 3 की दिनांक 11.07.2011 को जरिये अखबार साया तामिल करवाने के आदेश दिये गये। अखबार साये प्रति प्राप्त होकर पत्रावली में शामिल की गई तदुपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हाजिर

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

नहीं आने पर उनके खिलाफा दिनांक 01.06.2012 को एक–तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा पत्रावली वास्त साक्ष्य वादी नियत की गई। पत्रावली में वादी की ओर से दिनांक 08.06.2012 को गवाह मोतीलाल, चौथमल, रेवड के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2060 गांव लालसोट पदर्श संख्या–1, खसरा गिरदावरी संवत् 2008–09, 2012–15, 2018–2019 पदर्श संख्या–2, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028–2031 पदर्श संख्या–3, तथा विधुत कनेक्शन अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर पालिका लालसोट, आवासीय रशीद नगर पालिका लालसोट व बेचान एग्रीमेन्ट दिनांक 20.07.74 की छायाप्रति इत्यादि पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण गवाह से जिरह नहीं की जा सकी। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 20.07.2012 को लिखित बहस पेश की गई। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते अवलोकन लिखित बहस दिनांक 25.07.2012 नियत की गई। दिनांक 06.08.2012 को प्रार्थी रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण की ओर से प्रार्थना पत्र मंसूखी दाखिल किया किया जो शामिल मिसल किया गया तथा नकल वादी के अधिवक्ता को दिलवाई गई। वादी के फौत होने पर कायम मुकाम पेश किये गये तथा जवाब एकतरफा मंसूखी पेश किये गये जो शामिल मिसल है। प्रार्थना–पत्र मंसूखी पर पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है किन्तु आदेश नहीं हुए है। दिनांक 21.07.2023 को प्रार्थना–कायम मुकाम पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि नियमानुसार मृतक के वारिसान् को रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। संशोधित उनवान पूर्व से ही पत्रावली में शामिल है जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मंसूखी पर सुने जाने का निवेदन किया। मंसूखी प्रार्थना पत्र के प्रार्थी अथवा अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली दिनांक 28.07.2023 को अन्तिम बहस हेतु नियत की गई।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के कथनों को दोहराते हुए वादीगण के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी राईट्स होने के तर्क पेश किये है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्यो का हवाला देते हुए कथन किये है कि वादीगण एवं उनके पूर्वज लगभग 100 वर्षो से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है जिसका पुख्ता सबूत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 से 31 तक है। उक्त समस्त गिरदावरियों मे वादीगण के पिता का नाम दर्ज बतौर काश्तकार दर्ज है। कानूनन वादीगण काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदार बन गए है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया है कि काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर जो काश्तकार जागीरदारी के समय एवं सम्वत् 2012 में जिस भूमि पर काबिज होकर काश्त कर

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

रहे थे उन्हे उसी काबिज भूमि का खातेदार मान लिया गया इसी अवधारणा पर वादीगण को कानूनन विवादित आराजी के खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके है। शेष कथन वादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस से अर्ज किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के कथन है कि आराजी कस्बा लालसोट थला की ढाणी तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 626 रकबा 6 बिस्वा वादग्रस्त भूमि है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी तथा वादी के पूर्वज लगभग 100 वर्षो से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा आराजी वादग्रस्त को वादी के कब्जे के आधार पर लगभग 35 वर्ष पूर्व भी वादी को जरिये रजिस्टर्ड इकरारनामा विक्रय कर कब्जा वादी को संभला दिया था तब से ही वादी आराजी वादग्रस्त पर निरन्तर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है। वादीगण ने उक्त आराजीयात् पर नगर पालिका लालसोट की सहमति से गृहकर टैक्स जमा करवाकर नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर विधुत तथा नल कनेक्शन भी ले रखा है तथा वादी व उसके वारिसान् उक्त आराजीयात् पर निवास करते आ है। अब प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सरोकार वास्ता नहीं रहा है चुकि वादी तथा उसके पूर्वज लगभग 100 वर्षो से अधिक समय से आराजी वादग्रस्त पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। आराजीयात् को दीगर व्यक्ति को खुर्दबुर्द की धमकी के कारण वादीगण के हक हकूक की रक्षार्थ यह दावा पेश किया गया है। लिखित बहस में वादीगण का कहना है कि सम्वत् 2012 से 2015 तथा 2028 से 2031 की खसरा गिरदावरी कब्जे का प्रमाण है। वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में स्वतंत्र गवाह मोतीलाल व चौथमल उपस्थित हुए है उनके बयानों से भी उक्त आराजी पर वादीगण का वर्षो से निर्बाध व निरन्तर कब्जा स्पष्ट प्रमाणित है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा किया गया बेचाननामा भी वादी को उक्त भूमि पर काबिज होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार बहस में वादीगण ने एडवर्स पेजशन के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना बताया है। इस कथन के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के उनवानी प्रकरण बोदर सिह आदि बनाम निहाल सिंह आरआरटी 2003(2) पेज संख्या 881 का अवलम्ब लिया है। वादीगण का कहना है कि उक्त निर्णय इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है। अतः वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कथनो के आधार पर वादीगण को आराजी वादग्रस्त का खातेदार उद्घोषित करते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर गौर फरमाया। तथा पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। वादीगण की ओर से यह वाद इस आधार पर पेश किय गया है कि वह एवं उसके पूर्वज

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

आराजी खसरा नम्बर 626 रकबा 6 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट थला की ढाणी तहसील लालसोट जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी तथा वादी के पूर्वज लगभग 100 वर्षो से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज रहे है तथा वादी के कब्जे के आधार पर लगभग 35 वर्ष पूर्व भी वादी को जरिये रजिस्टर्ड इकरारनामा विक्रय किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन परिक्षण किया गया। पदर्श संख्या–1 जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 अनुसार आराजी खसरा नम्बर 626 वाके ग्राम कस्बा लालसोट की खातेदारी प्रतिवादीगण कान्तीलाल, नाथूलाल, रामेश्वर प्रसाद पिसरान नारायण कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज रही है। इससे स्पष्ट है कि आराजी वादग्रस्त की खातेदारी पूर्व में प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम चली आ रही है।

प्रदर्श संख्या–2 खसरा गिरदारवरी सम्वत् 2008–09, 2012–2015 के अनुसार आराजी वादग्रस्त की खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 7 में खातेदार के रूप में प्रतिवादीगण के पिता नारायण का नाम दर्ज है। तथा कॉलम नम्बर 8 में उपकृषक/शिकमी काश्तकार के रूप में वादीगण के पूर्वज नानगा का नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि आराजी वादग्रस्त के तत्समय खातेदार तो प्रतिवादीगण के पिता नारायण रहे है किन्तु उपकृषक/शिकमी काश्तकार वादीगण के पिता रेवड रहे है।

प्रदर्श संख्या–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028–31 एव 2032–2035 के अनुसार वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम रही है एवं कब्जे के अधिकार के कॉलम में वादीगण के पिता रेवड का नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह निष्कर्ष आता है कि आराजी वादग्रस्त सम्वत् 2008 से लेकर सम्वत् 2035 तक वादीगण के पिता रेवड के कब्जे में रही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनवानी प्रकरण बोदर सिह आदि बनाम निहाल सिंह आरआरटी 2003(2) पेज संख्या 881 में वादी के पूर्वज का 1931 से लगातार कब्जे को बहाल रखा है। विचाराधीन प्रकरण में भी वादीगण के सम्वत् 2008 से 2035 तक लगातार वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज नगरपालिका लालसोट द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य गृह कर रशीद व सन् 1974 का बेचाननामा जो वादीगण के हक में किया गया है, वादीगण के कब्जे को बखूबी प्रमाणित करते है।

प्रकरण के सम्बन्ध में विधि का अध्ययन किया गया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानानुसार काश्तकारी अधिनियम प्रभाव आने के समय सम्वत् 2012 में कब्जे रहे काश्तकारों को कब्जे की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत हो गये है। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादीगण के पिता रेवड सम्वत् 2008 से 2035 तक लगातार आराजी वादग्रस्त पर बतौर

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

उपकृषक/शिकमी कृषक काबिज रहे है। तथा सम्वत् 2012 में भी वादग्रस्त आराजी पर रेवड जाति माली ही काबिज काश्तकार होने के फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी पर विधि के प्रावधानानुसार वादीगण के अधिकार प्रोदभुत हो चुके है। इस प्रकार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद विधि के प्रावधित प्रावधानो के सम्यक् सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत आराजी खसरा नम्बर 626 रकबा 06 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट का वादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को निदेर्शित किया जाता है कि निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर निर्णय की पालना करे। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

बृजेन्द्र मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)